

फर्द अहकाम

अज अदालत-उपरखण्ड अधिकारी, मीनामाल

वादी/प्रार्थी-
मतीराम


बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-
मीमाराम

प्रकरण संख्या 09/20/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.9.19	<p>प्रार्थी के इतिवत्ता की रणनीत सिद्ध जारी द्वारा एक रिप्ट प्रार्थना पत्र वास्तु इतकत के इतिवत् दिांठ 20.8.2019 मे रणोवत करे का उद्युत किया गया जो दर्जे रिस्टर है। मयल वास्ते रडुतवाक तारीख 24.9.19 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;"><u>सहायक कलेक्टर</u></p>	<u>मीनामाल</u>
24.9.19	<p>प्रार्थी इतिवत्ता उपरिपत्र। प्रार्थी इतिवत्ता को इतर प्रार्थना पत्र पर डूना गया। प्रार्थी ने इतरगत करया कि वादी ने दिांठ 20.8.19 को एक प्रार्थना पत्र मे तय्यो का इल्लेख करे हुए न्यायप्रलय हाजा के रजस नया वाद पेश करे की इतुमति के साथ दावा विद्दी करे का तया नया वाद पेश करे की इतुमति याही गार् की साथ ही इतिवत्ता प्रार्थी ने विवद किया कि प्रतिवादी मोहरी रेनी के वाद पेश करे से डुव देतल की जातगरी नही है अरु थी। तथा इतर वाद प्रथम स्तर पर था। प्रार्थी को ह्यान मे डीये जाने पर वादी ने इतर वाद नये वाद पेश करे की इतुमति के साथ विद्दी किये जाने का विवद किया गया। प्रमु न्यायप्रलय हाजा द्वारा वही का वाद</p>	

उसीमे धरना पत्र दिनांक 20.8.15
 को स्वीकृत किया गया। इन
 कोठेरिका मे बरदी द्वारा धरना
 पत्र अनुपा 23 मीटर की जांच
 वाद विज्ञे के जमीने स्वीकृत करने
 का इच्छेन किया जावे। इनमे वाणी
 की इच्छेन एवं धरना पत्र का
 इच्छेन किया वाणी द्वारा नया
 वाद उद्यत करने की इच्छेन के
 साथ वाद विज्ञे करने का विवेक
 किया गया था लेकिन इय न्यायालय
 द्वारा पारित कोठेरिका दिनांक 20.8.15
 मे वाणी का वाद जमीने धरना पत्र
 स्वीकृत करने का इच्छेन किया है उद्यमे
 न्यायालय मे सशेष विवेक जावे के
 इच्छेन दिये जाते ही इन एवं वादी का
 वाद उद्यत करने की इच्छेन उद्यत
 की जाऊट वाणी का वाद जमीने विज्ञेन
 स्वीकृत किया जावे का इच्छेन करते हुए
 यकोठेरिका कोठेरिका जाही हो। पिछला
 उद्यत कंपन ही। इन धरना पत्र
 पुल वाद के साथ चली ही।

(
 न्यायालय अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर, धीनमाल